

२६/०२ पंजाब की सरकार को अतिरिक्त दिनांक ०६/०३/२२
की पालना हेतु आंशिक रूप से प्रदत्त किए
जाने हैं पंजाब की शाखा दिनांक २६/०३/२२
को भेजें।

२६५
२

पंजाब की सरकार को अतिरिक्त दिनांक ०६/०३/२२
न्यायालय के द्वारा काट-काट कर-कर
कर कावले लगायी गयी लेकिन न्यायालय
के समक्ष ना तो प्राथमिक ना ही वहील
प्राथमिक उपस्थित रहे। अतः प्रा.पत्र २६
की अन्तर्गत प्रतीति के अन्तर्गत
किए जाते हैं पंजाब की निम्नानुसार
दाखिल पत्र हेतु नकल ले ली
है।

(प्रियंका बलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

